

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 11/2024

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. बालाराम पुत्र हीराराम जाति गोदारा निवासी मु.पो. सांवा तह. धनाऊ, जिला बाड़मेर (मैसर्स गोदारा किराणा स्टोर, मैन बाजार, धोरीमन्ना का मालिक)
2. कैलाश कुमार जैन पुत्र चंपालाल जैन निवासी 12 हमीरपुरा, बाड़मेर (मैसर्स कैलाश सेल्स कॉरपोरेशन प्लॉट नं. 1 केयर ऑफ सुशीला देवी चंपालालजैन 254 रिको ऐरिया बाड़मेर का मालिक थोक फर्म)
3. भृगुनाथ दुबे पुत्र देवमणि दुबे निवासी vill. Hathina post madermau ps, jahangirganj Allapur, Ambedkar Nagar UP 224147 (Indoden enterprises pvt ltd, plot no. 2181 Phase 2 Sector 38 Rai Industrial Area Sonipat Hariyana 13001)
4. Indoden enterprises pvt ltd, plot no. 2181 Phase 2 Sector 38 Rai Industrial Area Sonipat Hariyana 13001

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।



  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 03.06.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स गोदारा किराणा स्टोर, मैन बाजार, धोरीमन्ना** पर निरीक्षण दिनांक **30.08.2023** को खाद्य पदार्थ **घी (इडाणा ब्राण्ड)** जो 1-1 लीटर के 10 पैकेट में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 800 ग्राम वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी-2262** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (इडाणा ब्राण्ड)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (इडाणा ब्राण्ड)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।
2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि नमूना घी दिनांक 30.08.2023 को लिया गया नमूने की जांच में फोरेन फेट का उपस्थित होना बताया गया है। घी, गाय तथा भैंस के दूध से बनता है और जब गाय तथा भैंस को पशु के आहार जो बेजीटेबल ऑयल की खल से बना होता है, खिलाया जाता है तो उस गाय तथा भैंस के दूध से बनाने वाले घी में उस बेजीटेबल ऑयल की की उपस्थिति आ जाती है, जबकि उस घी में कोई बेजीटेबल ऑयल या फैट नहीं मिला हुआ हो। लिहाजा उक्त आधारों पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जाकर निस्तारित किया जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में



माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 17.12.2021 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक (Substandard) पाया गया। प्रयोगशाला जांच में Test For foreign fat का मानक स्तर Foreign fat should be Absent के मुकाबले foreign fat present पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया है कि नमूना घी दिनांक 30.08.2023 को लिया गया नमूने की जांच में फोरेन फेट का उपस्थित होना बताया गया है। घी, गाय तथा भैंस के दूध से बनता है और जब गाय तथा भैंस को पशु के आहार जो बेजीटेबल ऑयल की खल से बना होता है, खिलाया जाता है तो उस गाय तथा भैंस के दूध से बनाने वाले घी में उस वेजीटेबल ऑयल की उपस्थिति आ जाती है, जबकि उस घी में कोई वेजीटेबल ऑयल या फैट नहीं मिला हुआ हो। लिहाजा उक्त आधारों पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जाकर निस्तारित किया जावे। इस प्रकार अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 35,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह बांधवित्त) अधिकारी एवं  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर